भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI)
[भारत सरकार]

सत्यमेव जयते

दिनांक: 12.09.2025

निर्देश

विषय: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (अधिनियम संख्या 24, सन् 1997) की धारा 13 को धारा 11 के साथ पढ़ते हुए, सेवा प्रदाताओं को पीएम-वाणी (PM-WANI) स्कीम के अंतर्गत प्रस्तुत किए जा रहे एफटीटीएच (FTTH) टैरिफ प्लान/डाटा की प्रस्तुति के संबंध में निर्देश।

एफ. सं. आर.जी.-(6)/2024-एफ.ई.ए.-II: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (आगे "प्राधिकरण" के रूप में संदर्भित), जो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का अधिनियम संख्या 24) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित है (आगे "भा.दू.वि.प्रा. अधिनियम" के रूप में संदर्भित), को कुछ कार्यों के निर्वहन का दायित्व सौंपा गया है, जिनमें, अन्य के साथ-साथ, दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करना; उन दरों को अधिसूचित करना जिन पर भारत के भीतर और भारत के बाहर दूरसंचार सेवाएँ प्रदान की जाएँगी; तथा दूरसंचार क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना शामिल है;

2. और प्राधिकरण ने, भा.दू.वि.प्रा. अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 (आगे "टी.टी.ओ. 1999" के रूप में संदर्भित) अधिसूचित किया है;

3. तथा टी.टी.ओ. 1999 के अनुसूची VI का मद (3A), जो पी.एम.-वाणी (PM-WANI) स्कीम के अंतर्गत पब्लिक डेटा ऑफिसेज़ (PDOs) के लिए रिटेल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के टैरिफ से संबंधित है, इस प्रकार प्रावधान करता है:–

> *"प्रत्येक सेवा प्रदाता जो रिटेल फाइबर टू द होम (एफ.टी.टी.एच.) ब्रॉडबैंड सेवाएँ प्रदान करता है, वह अपने सभी रिटेल एफ.टी.टी.एच. ब्रॉडबैंड प्लान (200 एम.बी.पी.एस. तक) को विभिन पी.डी.ओ (PDOs) को पी.एम.-वाणी स्कीम के अंतर्गत ऐसे टैरिफ पर उपलब्ध कराएगा, जो संबंधित एफ.टी.टी.एच. ब्रॉडबैंड प्लान की बैंडविड्थ (क्षमता) के लिए रिटेल ग्राहकों पर लागू टैरिफ से दोगुने से अधिक न हो।"*

4. साथ ही प्राधिकरण ने पी.एम.-वाणी स्कीम के प्रसार और उपयोग की निगरानी करने तथा उक्त स्कीम के अंतर्गत सेवा प्रदाताओं द्वारा विभिन पी.डी.ओ (PDOs) को प्रदान किए जाने वाले टैरिफ की समीक्षा करने का निर्णय लिया है;

5. अतः, अब प्राधिकरण, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का अधिनियम 24) की धारा 13 और के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (b) के उप-खंड (i) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देता है

कि सभी सेवा प्रदाता जो खुदरा रिटेल फाइबर टू द होम (एफ.टी.टी.एच. - FTTH) ब्रॉडबैंड सेवाएँ प्रदान करते हैं, वे अपने द्वारा विभिन्न पी.डी.ओ (PDOs) को पी.एम.-वाणी स्कीम के अंतर्गत उपलब्ध कराए जा रहे विभिन्न ब्रॉडबैंड प्लान का विवरण, इस निर्देश के अनुलग्नक में दिए गए प्रारूप के अनुसार, प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के दस (10) दिनों के भीतर प्रस्तुत करें, जिसकी शुरुआत 30 सितम्बर 2025 को समाप्त होने वाली तिमाही से होगी।

(D. Manoj)

प्रधान सलाहकार (एफ. एंड ई.ए.)

मनोज धर्मराजन/MANOJ DHARMARAJAN
प्रधान सलाहकार/Principal Advisor
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom regulatory Authority of India
टॉवर-एफ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली-29
Tower-F, World Trade Center, Nauroji Nagar, New Delhi-29

प्रति

सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं तथा इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को

(जो रिटेल फाइबर टू द होम (एफ.टी.टी.एच.) ब्रॉडबैंड सेवाएँ प्रदान कर रहे है)

अनुलग्नक

पी.एम.-वाणी स्कीम हेतु टैरिफ का विवरण

क्रम संख्या	विवरण	विवरण
1.	पी.एम.-वाणी स्कीम का विवरण	
a.	स्कीम का नाम	
b.	स्कीम का विवरण	
	i. मूल्य (रु. में)	
	ii. बैंडविड्थ (क्षमता) (एम.बी.पी.एस. में)	
	iii. एफ.यू.पी. सीमा	
	iv. अन्य कोई प्रासंगिक विवरण	
2.	संबंधित रिटेल एफ.टी.टी.एच. (FTTH) ब्रॉडबैंड स्कीम (क्रम संख्या (1) में उल्लिखित स्कीम के लिए)	
a.	प्लान का नाम	
b.	स्कीम का विवरण	
	i. मूल्य (रु. में)	
	ii. बैंडविड्थ (क्षमता) (एम.बी.पी.एस. में)	
	iii. एफ.यू.पी. सीमा	
	iv. अन्य कोई प्रासंगिक विवरण	
3.	क्रम संख्या (1) में उल्लिखित प्लान से जुड़े विभिन पी.डी.ओ (PDOs) की संख्या	
4.	क्रम संख्या (1) में उल्लिखित स्कीम हेतु तिमाही के दौरान कुल डाटा उपयोग (एम.बी. में)	

टिप्पणी:

i. उपर्युक्त जानकारी उन सभी सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई जानी आवश्यक है, जो रिटेल एफ.टी.टी.एच. (FTTH) ब्रॉडबैंड सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं।

ii. उपर्युक्त जानकारी संबंधित तिमाही की समाप्ति से दस दिनों के भीतर प्रस्तुत की जानी आवश्यक है।

iii. प्रत्येक पी.एम.-वाणी (PM-WANI) प्लान के संबंध में जानकारी अलग-अलग प्रस्तुत की जानी आवश्यक है।